ओमप्रकाश

बनाम

दिल्ली राज्य (एन.सी.टी.)

5 जून, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और डी. के. जैन, जे.जे.)

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954-

धारा 7(1) सहपठित धारा 16-अभियुक्त द्वारा बेचे गए 'खोया' में दूध 20 प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारित मानक के मुकाबले 19.075 पाया गया- निचली अदालत द्वारा दोषसिद्ध किया गया और 6 महीने के कारावास की सजा व 2000 रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया। दण्डादेश के लघुकरण के लिए उज्र लिया गया कि घटना 1984 की है व परिवर्तन की सीमा बहुत कम होने के आधार पर याचिका प्रस्तुत की गई- निर्धारित किया गया-अभियुक्त पहले ही तीन महीने से अधिक की हिरासत में रह चुका है। जुर्माने के रूप में 7500/- रूपए की राशि जमा करने से और एक उचित आवेदन किए जाने पर राज्य सरकार धारा 433 (डी) के तहत एक उचित आदेश पारित करने पर विचार कर सकती है-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 433 (डी)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 433 (डी)- दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति-निर्धारित किया गयाः जुर्माना जमा करने और अभियुक्त द्वारा आवेदन किये जाने पर, जैसा कि निर्णय में संकेत किया गया है, राज्य सरकार इस प्रावधान के तहत एक उचित आदेश पारित करने पर विचार कर सकती है।

अपीलार्थी ने दंडनीय अपराध के लिए विचारण का सामना धारा 7(1) सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत किया। अभियोजन का मामला था कि 'खोया' का नमूना जो कि खाद्य निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी से 27.11.84 को खरीदा गया, उसमें मिल्क फैट 19.07 प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम मानक 20 प्रतिशत के मुकाबले थी। विचारण न्यायालय ने अपीलर्थी को अधिरोपित अपराध हेतु दोषसिद्ध किया व उस पर छः महीने का कारावास व 2000 रूपए जुर्माना का दण्डादेश दिया- अपील को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। दण्डादेश के धारा 433 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लघुकरण के उज्र को निर्धारित किया गया कि यह मामला राज्य सरकार के विवेकाधिकार का है। दाण्डिक निगरानी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने के बाद अभियुक्त ने तत्काल अपील दायर की।

अपील का निस्तारण करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गयाः-

अपीलार्थी पूर्व में ही तीन महीने से अधिक की अभिरक्षा भुगत चुका है, उसे निर्देशित किया जाता है कि जुर्माने के रूप में 7500 रूपए जुर्माना जमा कराने हेतु उक्त निर्धारित राशि निर्धारित समय पर जमा कराने पर अपीलार्थी द्वारा एक उचित आवेदन पेश करने पर राज्य सरकार विचार कर सकती है कि क्या दण्ड किया संहिता की धारा 433 के खण्ड (डी) के तहत मामलें के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक उचित आदेश संचरित किया जा सकता है। इस बीच अपीलार्थी जमानत पर रहेगा।

{पैरा 5}, {960-ई, एफ, जी}

एन. सुकुमारन नायर बनाम खाद्य निरीक्षक, मावेहकारा, {1997} 9 एससीसी 101 और संतोष कुमार बनाम नगर निगम और अन्य {2000} 9 एससीसी 151, संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 534/2001

दिल्ली उच्च न्यायालय, आपराधिक मामलें में निगरानी संख्या 531/2000 के दिनांकित 22.11.2000 के आदेश से।

घन सिंह वशिष्ठ, आर. पी. कौशिक, ओमप्रकाश मिश्रा, दीपक ठुकराल और अपीलार्थी की ओर से अमित सिंह।

अशोक भान, एस. वसीम, ए. कादरी डी.एस. माहरा के लिए प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. इस अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होने ने अपीलार्थी की दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की थी। विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली ने अभियुक्त-अपीलार्थी को अपराध का दोषी पाया अन्तर्गत धारा 7(1) सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (संक्षेप में 'अधिनियम') उन्होने उसे छः महीने का कारावास व 2000 रूपए जुर्माने से दण्डित किया चूक की शर्तो के साथ। एक अपील की गई और विद्वान सत्र न्यायाधीश की नई दिल्ली ने वर्ष 1999 की दाण्डिक अपील संख्या 61 इस आधार पर खारिज की गयी कि अपराध हुआ था। जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है, उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे संक्षिप्तः खारिज कर दिया गया।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

27.11.1984 को खाद्य निरीक्षक ने खोया का एक नमूना अपीलार्थी से खरीदा।

लोक विश्लेषक ने पाया कि तैयार उत्पाद में दूध वसा निर्धारित मानक 20 प्रतिशत के मुकाबले 19.07 प्रतिशत थी। अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग किया व

अपीलार्थी ने विचारण का सामना किया। जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया महानगर मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को दोषी माना व उसे सजा सुनाई। विद्वान सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली के समक्ष पेश की गई अपील खारिज की गई। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष वहाँ यह उज्र लिया गया कि पूर्व के अनेको निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए सजा को कम किया जाना चाहिए। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि सजा के लघुकरण का धारा 433 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में द.प्र.सं.) का मामला राज्य सरकार के विवेकाधिकार का मामला है। अपीलार्थी ने आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने गैर तर्कपूर्ण आदेश से पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि इसी तरह के मामलों में इन्होने आदेश पारित किए। एन. सुकुमारन नायर बनाम खाद्य निरीक्षण मावेहकारा (1997), 9 एस. सी. सी. 101 विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने कहा कि धारा 433 द.प्र.सं. की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है और लघुकरण के लिए निर्देश नहीं दिया जा सकता।

4.विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बचाव में उज्र लिया कि उसे एन. सुकुमारन नायर (ऊपर) व संतोष कुमार बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन

(2000) 9 एससीसी 151 का लाभ लिया और यह उज्र इस आधार पर लिया गया कि घटना 1984 की थी और भिन्नता का अंतर बहुत कम था।

5. यह इंगित किया गया कि अपीलार्थी पहले ही तीन माह से अधिक की अभिरक्षा का सामना कर चुका है। हम निर्देश देते है कि आज से छः सप्ताह के भीतर 7500 रूपए जुर्माने की राशि जमा कराई जाये। अपीलार्थी समुचित सरकार के समक्ष अभिरक्षा की सजा के लघुकरण के लिए रूख करेगा। निर्धारित समय में उल्लेखित की गई राशि जमा कराने पर उचित आवेदन किया जा सकता है कि राज्य सरकार प्रकरण के विशिष्ट तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए धारा 433 (डी) द.प्र.सं. के तहत इस बात का निधार्रण करने हेतु एक उचित आदेश पारित करने पर विचार कर सकती है। इस बीच अपीलार्थी जमानत पर रहेगा।

6. इस अंतिम परिणाम के साथ अपील का निपटारा किया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी यशवन्त भारद्वाज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।